उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
तपोवन रोड, देहरादून
Email id-ceouksrlm@gmail.com

संख्या 309 / 485 / यू0एस0आर0एल0एम0 / 2021 दिनांक 15 जुलाई 2026

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ देहरादून में एन0आर0एल0एम0 के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित पदों को सेवा स्थानान्तरण के आधार पर भरे जाने के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग अंतर्गत सरकारी विभागों में कार्यरत इच्छुक कर्मचारी/अधिकारी से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र0सं0	पदनाम	वेतनबैण्ड/संसोधित वेतन मैट्रिक्स/लेवल	पदों की संख्या
1	लेखाकार	लेवल 6 (35400–112400) ग्रेड पे– 4200	01
2	प्रधान सहायक	लेवल 6 (35400–112400) ग्रेड पे– 4200	01
3	कनिष्ठ सहायक	लेवल 3 ग्रेड वेतन 2000.00 संसोधित वेतन मैट्रिक्स 21700–69100	01

अतः उक्त पदों के लिये आवेदन हेतु निर्धारित अर्हताएं एवं दक्षता व अन्य आवश्यक जानकारी उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यालय की **usrlm.uk.gov.in** से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र दिनांक **16** अगस्त 2026 की सांय 5.00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट अथवा कार्यालय दिवस को यू0एस0आर0एल0एम0 कार्यालय तपोवन रोड रायपुर देहरादून में स्वयं उपस्थित होकर जमा किये जा सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

15/07/2026

(प्रदीप कुमार पाण्डेय)
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
यू0एस0आर0एल0एम0, देहरादून।

सेवा स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो

1. आवेदित पद का नाम :
2. आवेदक का नामः
3. माता का नामः
4. पिता/पति का नामः
5. जन्मतिथिः
6. कर्मचारी कोडः
7. दूरभाष/मोबाइल नम्बरः
8. स्थायी पताः
9. पत्रव्यवहार का पता (पिन कोड सहित):
10. कार्यालय का पता (पिन कोड सहित):
11. प्रथम नियुक्ति तिथि एवं पदनामः
12. प्रथम नियुक्ति पर वेतन बैण्ड/लेवलः
13. वर्तमान धारित पदनाम एवं तैनाती तिथिः
14. वर्तमान वेतन बैण्ड/लेवलः
15. कुल सेवा अवधिः ....वर्ष....................माह....................दिन
16. शैक्षिक योग्यताः
17. संलग्नक अभिलेख/दस्तावेजः
    1. विगत तीन वर्षों की विभाग द्वारा जारी वार्षिक गोपनीय आख्या की प्रमाणित प्रति।
    2. विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र।
    3. विभाग द्वारा जारी संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र (जिस पद हेतु आवेदन किया जा रहा है)

घोषण पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी ....पुत्र/पति/पुत्री ....घोषणा करता/करती हूं कि उपरोक्तानुसार उपलब्ध करायी गयी समस्त सूचनाएं सही एवं सत्य है एवं मेरे द्वारा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि मेरे द्वारा प्रेषित सूचना में कोई भी तथ्य गलत पाया जाता है तो मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जाय, जिस हेतु मै कोई वाद दायर नहीं करूंगा/करूंगी। बोर्ड का निर्णय अंतिम एवं मुझे मान्य होगा।

दिनांकः

हस्ताक्षरः

स्थान :

आवेदक का नामः

पदनामः

नोटः आवेदक/अभ्यर्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र अपने कार्यालयाध्यक्ष द्वारा संस्तुति सहित अग्रसारित करवाकर प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

सेवा स्थानान्तरण हेतु आवश्यक नियम एवं शर्ते

1. उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, देहरादून में सेवा स्थानान्तरण के माध्यम से नियुक्ति नितान्त अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत 03 वर्ष तक के आधार पर की जानी है, जिसे किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है।

2. आवेदक द्वारा विज्ञप्ति में उल्लेखित जिस पद हेतु आवेदन किया जा रहा है, अपने विभाग में उस पद पर उसकी मौलिक रूप से नियुक्ति एवं कम से कम 01 वर्ष का कार्यानुभव होना आवश्यक है तथा इस आशय का सक्षम स्तर से निर्गत विभागीय प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

3. आवेदक द्वारा विभागाध्यक्ष / सक्षम स्तर से विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर बोर्ड कार्यालय को प्रेषित करना आवश्यक है अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

4. आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेजों/अभिलेखों की प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य हैं अन्यथा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

5. आवदेन पत्र के साथ संलग्न किए गए वांछित दस्तावेजों / अभिलेखों को मूल में कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन अस्वीकार कर दिया जायेगा।

6. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र अपने कार्यालयाध्यक्ष द्वारा संस्तुति सहित अग्रसारित करवाकर प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

7. आवेदन पत्र पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट अथवा कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर जमा किए जा सकते हैं।

8. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं डाक में देरी से प्राप्त होने की दशा में बोर्ड का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा अपितु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।

9. चयनित अभ्यर्थी / कार्मिक को, सेवा स्थानान्तरण की अवधि (01 वर्ष) पूर्ण होने पर, उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, देहरादून की आवश्यकतानुसार सेवा विस्तार के सम्बन्ध में कार्यामुल्यांकन के आधार पर विचार किया जा सकता है।

10. आवदेन पत्रों को स्वीकार अथवा निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, देहरादून में निहित है।